more democratic rights to Government employees; and

(b) if not, the reasons therefor?

THE PRIME MINISTER (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): (a) No, Sir.

? (b) The provisions of Article 311(2) (c) of the Constitution are there to deal with exceptional circumstances where inquiry is not expedient in the interest of national security. The Supreme Court has also held that these provisions are" in the public interest and are for public good.

स्वीडन के समाचार-पत्र डेगियस नाइटर में बोफोर्स सौदे में दलाली प्राप्त करने के संबंध में प्रकाशित समाचार

2247 **श्री अनंत राम जायसवाल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 जनवरी, 1990 के स्वीडन के समाचार पत्र "डेगियस नाइटर" में प्रकाशित एक समाचार के आधार पर कि बोफोर्स घोटाले (सौदे) में दलाली प्राप्त करने वाले स्विस बैंक में छठे खाते के पीछे श्री अजिताभ बच्चन ने ब्रिटिश उच्च न्यायालय में समाचार-पत्र के विरुद्ध मानहानि का एक मुकदमा दायर किया था जिस पर 20 जुलाई, 1990 या उसके आस-पास न्यायालय ने श्री अजिताभ बच्चन के पक्ष में निर्णय की घोषणा की थी ;

(ख) यदि हां, तो न्यायालय के निष्कर्ष क्या थे और उनका आधार क्या था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वादी ने अपने वाद के समर्थन में ब्रिटेन के एक प्रमुख आसूचना एजेंसी की एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी जिसमें यह कहा गया है कि छठे खाते से संबंधित सारी कहानी मनगढ़त है, यदि हां, तो इस निर्णय पर पहुंचने के लिये उक्त एजेंसी ने क्या-क्या तर्काधार दिये हैं ; और

(घ) इस निर्णय के संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार ने उस व्यक्ति या व्यक्तियों की पहचान कर ली है जिन्होंने उक्त समाचार-पत्र से मनगढ़ंत समाचार प्रकाशित कराया था, यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी, यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) से (ग) इस मामले के संबंध में रक्षा मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं है ।

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार "डेजेंस नाइटर' में 31–1–1990 को प्रकाशित समाचार के साथ भारत सरकार के ऐसे किसी भी अधिकारी का कोई सरोकार नहीं है जो किसी भी स्तर पर जांच से संबंधित रहा हो ।

Opening of CBI Office in Goa

2348. SHRI JOHN F. FERNANDES: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there has been any proposal under Government's consideration to start an office of C. B. I, in Goa; and

(b) if so, at what stage the matter is pending at present?

THE PRIME MINISTER (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The proposal has been kept in abeyance, as the workload of the Bombay branch has been reduced by the creation of a new branch at Nagpur and consequently, Bombay branch is now in a position to handle cases emanating from Goa.

Cadre Review of Central Secretariat Service

2349. SHRI SURENDRA SINGH THAKUR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have not taken up the cadre review